UPCH120000112003

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।
उपस्थित– एस. आनंद (उ.प्र. न्यायिक सेवा)
दांडिकवाद संख्या– 326/2003

उ.प्र. राज्य

.....अभियोजन

बनाम

1. संजय मिश्रा, पुत्र प्रकाश मिश्रा, निवासी– फ़्लैट नं. 24 जी.टी. रोड लहारतारा, थाना– मडुआडीह, जिला– वाराणसी।

.....अभियुक्त

अपराध सं०– 24/2003
धारा– 279, 337, 338, 304A, 427 भा.दं.सं. व 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम
थाना– बरगढ़, जनपद– चित्रकूट।

निर्णय
(आज दिनांक 10.03.2026 को घोषित)

परिवादी	राज्य
द्वारा प्रत्यावेदित	श्री सिद्दार्थ सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	संजय मिश्रा
प्रत्यावेदित	श्री इन्द्रज्ञान सिंह, अधिवक्ता

अपराध का दिनांक	07.08.2003
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	07.08.2003
आरोप पत्र का दिनांक	10.10.2003
आरोप पत्र विरचित किए जाने का दिनांक	25.02.2005
साक्ष्य प्रारंभ होने का दिनांक	15.09.2005
निर्णय सुरक्षित किए जाने का दिनांक	24.02.2026
निर्णय का दिनांक	10.03.2026
दंडादेश देने का दिनांक, यदि कोई हो	N/A

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार किए जाने / न्यायिक अभिरक्षा का दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने का दिनांक	आरोप की धाराएं	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	संहित की धारा 428 के प्रयोजनार्थ विचारण की गई निरूद्धता की अवधि
1	संजय मिश्रा	–	05.09.2003	279, 337, 338, 304–A, 427 भा.दं.सं. व 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम	दोषमुक्त	N/A	N/A

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.03.12 10:26:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथ्यों का विवरण

1. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 07.08.2003 को समय करीब 4.45 प्रातः बरगढ़ घाटी ग्राम छितैनी थाना मऊ जिला चित्रकूट में अभियुक्त संजय कुमार मिश्र द्वारा ट्रक नं. MP 9D 5237 को तेज़ी व लापरवाही पूर्वक तथा अत्यधिक खतरनाक ढंग से चलते हुए बिना हॉर्न बजाये सड़क के दाहिने साइड में मारुती वैन जो की इलाहाबाद की ओर जा रही थी, को सामने से टक्कर मार दिया जिससे कि उसमे बैठी सवारियों का जीवन संकटापन्न हो गया तथा वादी शंकरलाल की पत्नी चूरा और भाभी नोनी बाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा वादी सहित अन्य सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गयी।

2. विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपराध का संज्ञान 20.10.2003 को लिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अनुपालन में आरोप पत्र की प्रतियाँ एवं अन्य प्रासंगिक प्रपत्र अभियुक्त को उपलब्ध कराए गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में आरोप का सार दिनांक 25.02.2005 को अभियुक्त को बताया गया। अभियुक्त द्वारा निर्दोष होने का कथन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य

अभियोजन पक्ष के लिए

3. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहों को परीक्षित किया गया है:

श्रेणी	नाम
PW–1	शंकरलाल
PW–2	रज्जू प्रसाद
PW–3	इन्द्रेश कुमार
PW–4	राजेश कुमार
PW–5	बब्बू
PW–6	इन्द्रेश कुमार
PW–7	अखिलेश सिंह
PW–8	सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय
PW–9	अखिलेश कुमार

4. अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों पर बल दिया गया है:

क्र. सं.	प्रदर्श सं०	विवरण
1	क–1	मूल तहरीर
2	क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	क–3	नकल रपट
4	क–4	पंचायतनामा मृतक नोनी बाई
5	क–5	पंचायतनामा मृतक प्रकाशचन्द्र
6	क–6	मृतक प्रकाशचन्द्र की फर्द
7	क–7	थानाध्यक्ष बरगढ़ को दिया गया प्रार्थना पत्र रपट नं० 29
8	क–8, क–9, क–10, क–11, क–12	क्षतिग्रस्त मारुती वैन के फोटोग्राफ
9	क–13	नक्शा नजरी
10	क–14	आरोप पत्र
11	क–15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक नोनी बाई
12	क–16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक प्रकाशचन्द्र

अभियुक्त की ओर से

5. दिनांक 13.03.2024 को अभियुक्त संजय मिश्रा का बयान अंतर्गत धरा 313 सी०आ०पी०सी० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप का खंडन किया गया एवं सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

निर्धारण के लिए बिंदु

6. अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध से आरोपित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारण के लिए यह बिंदु बनता है कि क्या अभियुक्त संजय कुमार मिश्र द्वारा कोई ऐसा कृत्य कारित किया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है?

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क

7. विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है कि अभियुक्त संजय कुमार मिश्रा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है।

8. अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त की पहचान के अभाव में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त संजय कुमार मिश्रा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

9. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. किसी आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्तगण के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

11. वर्तमान मामले में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये गए हैं।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 279 लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलने से सम्बंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

> **279.** लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना.– जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) उतावलेपन और लापरवाही से किए गए कृत्य के रचयिता की पहचान;

(ख) अभियुक्त सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चला रहा था या सवारी कर रहा था;

(ग) वाहन चलाना या सवारी करना इतनी उतावलेपन या लापरवाही से किया गया था कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना हो।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 337 ऐसा कार्य द्वारा उपहति करने से सम्बंधित है जिससे कि दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये। उक्त धारा इस प्रकार है–

337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये.– जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिसमें मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) अभियुक्त ने कोई कार्य किया है;

(ख) उसने यह कार्य उतावलेपन और लापरवाही से किया है;

(ग) यह कार्य ऐसा था जिससे अन्य लोगों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, से सम्बंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये.– जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को धारा 337 के सभी तत्वों को सिद्ध करना होगा, सिवाय इसके कि चोट पहुंचाने के स्थान पर यह सिद्ध करना होगा कि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई गई है।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–A में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। उक्त धारा इस प्रकार है:

304–A. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना.– जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है;

(ख) अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या उतावलेपन के कारण मृत्यु हुई है;

(ग) ऐसी मृत्यु गैर इरादतन हत्या नहीं है।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 427 रिष्टि जिससे पचास रूपए का नुकसान होता है, से सम्बंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

> **427.** रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुक्सान होता है.– जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा पचास रूपए या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में रिष्टि निम्नवत परिभाषित है–

> 425. रिष्टि.– जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुक्सान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रिष्टि' करता है।
>
> स्पष्टीकरण 1– रिष्टि अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुक्सान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं सदोष हानि या नुक्सान कारित करे।
>
> स्पष्टीकरण 2– ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकती है।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(i) अभियुक्त द्वारा रिष्टि कारित की गयी है;

(ii) उक्त रिष्टि से पचास रुपये या उससे अधिक की हनी या नुक्सान अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है।

23. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192 निम्नवत है–

> 192. रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग.- (1) जो कोई धारा 39 के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किये जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हज़ार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु दो हज़ार रुपये से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा तथा किसी द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हज़ार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हज़ार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा:
>
> परन्तु न्यायलय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, कोई लघुतर दंड अधिरोपित कर सकेगा।

24. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(i) बिना रजिस्ट्रीकरण के मोटर यान चलाना; या

(ii) बिना रजिस्ट्रीकरण के मोटर यान का उपयोग करवाना।

25. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धरा 177 निम्नवत है–

177. अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध.– जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्मानें से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा; और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्मानें से, जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

26. उपरोक्त धारा के निम्न घटक है–

(i) मोटर यान अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना का उल्लंघन;

(ii) उक्त अपराध के सम्बन्ध में कोई शास्ति उपबंधित न होना।

27. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धरा 187 निम्नवत है–

187. दुर्घटना संबंधी अपरोधों के लिए दंड.– जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हज़ार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

28. उपरोक्त धारा के निम्न घटक है–

(i) ड्राईवर द्वारा दुर्घटना पर गाडी का न रोका जाना; या

(ii) दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राईवर द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को चिकित्सा न प्रदान कराया जाना।

29. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धरा 207 निम्नवत है–

207. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग के गए यानों के निरुद्ध करने की शक्ति.– (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करके या धारा 66 की उपधारा (1) द्वारा उपबंधित परमिट के बिना अथवा उस मार्ग संबंधी, जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमे अथवा उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस यान को अभिगृहीत और विहित रीति से निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वह उचित समझे;

परन्तु जहाँ ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करके, या धारा 66 की उपधारा (1)

द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है वहां वह यान को अभिगृहीत करने के बजाय यान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसके लिए अभिस्वीकृति देगा।

30. उपरोक्त धारा के निम्न घटक है–

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना मोटर यान को चलाना;

(ii) आवश्यक परमिट के बिना मोटर यान को चलाना।

31. पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में वादी शंकरलाल ने यह कथन किया हिया कि–

"...दिनांक 07.08.2003 को जब हमारी वैन बरगढ़ घाटी में ऊपर की ओर चढ़ रही थी कि सामने से ट्रक नं. MP 09 D 5237 का चालक बड़ी तेज़ी से व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये सड़क की दाहिनी साइड लाकर मारुती वैन एमिन करीब 4 बज के 45 मिनट पर जोर से टक्कर मार दिया जिससे गाडी में बैठी हुई सवारी में मेरी भाभी नोनी बाई उम्र 38 वर्ष पत्नी चूरा मौके पर ख़त्म हो गयी तथा ड्राईवर प्रकाश चाँद की हालत गंभीर है तथा संतोष कोरी की भी हालत गंभीर है व राजेश कुमार सोनी सोनी, रामनारायण बुनकर, सुमित्रा कोरी व कमलेश तथा मेरे काफी चोट आई है।..."

32. अपनी मुख्य परीक्षा में शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"...सभी लोग गाडी में बैठकर इलाहबाद जा रहे थे कि दिनांक 07.08.2003 समय 4.45 बजे सुबह हमारी गाडी बरगढ़ घाटी में ऊपर की ओर चढ़ रही थी सामने से ट्रक नं. MP 09D 5237 का चालक बड़ी लापरवाही व तेज़ी से बिना हॉर्न बजाये सड़क के दाहिने साइड मेरी मारुती वैन के टक्कर मारा जिसमे मेरी भाभी नोनी बाई उसी समय ख़त्म हो गयी। प्रकाश चंद की हालत गंभीर जो ख़त्म हो गया, संतोष कोरी भी रास्ते में ख़त्म हो गया था तथा राजेश कोमर सोने, रामनारायण, सुमिया, कमलेश तथा मुझे भी चोटें आयी थी। मौके पर सभी लाश पडी थी।..."

33. अपनी मुख्या परीक्षा में राजेश कुमार, पी.डब्लू. 2, द्वारा यह कथन किया गया है कि–
"...मैं मारूती वैन में आगे बैठा था और ड्राइवर 40 की स्पीड में चल रहा था कि सामने से ट्रक जिसका नं० MP 09 5237 था, से मारूती में आगे से टक्कर मार दी। जिसमें गलती दोनों की हो सकती है। दोनों ने ब्रेक मारी थी। मारूती पलटी नहीं थी, मारूती में उसे दाएं पैर में चोट आई थी। पैर टूट गया था, चूर–चूर हो गया था। मेरे अलावा रामनारायण व सुमित्रा को चोट आई। तीन की मृत्यु हो गई थी। जिनमें प्रकाश, जो कि मारूती का ड्राइवर था व सन्तु, शेष का नाम नहीं मालूम। टक्कर बरगढ़ घाटी में हुई थी।..."

34. अपनी मुख्या परीक्षा में बब्बू, पी.डब्लू. 5, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"...दिनांक 07.08.2003 को दरागा जी ने मेरे सामने पंचनामा नोनी बाई तथा ड्राइवर प्रकाशचन्द्र जाटव का भरा था। मैं पंचायतनामा का गवाह बनाया गया था। दोनों लाशों के शरीर पर चोटों का निरीक्षण हुआ था। मृतकों की मृत्यु ट्रक के टक्कर से आई हुई चोटों के कारण हुई थी। नोनी के पंचनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 पूर्व से पड़ा था। ड्राइवर प्रकाशचन्द्र जाटव का पंचनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है।..."

35. पंचायतनामा, प्रदर्श क–4, के अनुसार मृतक नोनी बाई की मृत्यु ट्रक के टक्कर मारने से मारुती वैन में बैठी सवारी नोनी बाई को चोट आई जिससे नोनी बाई की मृत्यु हो गयी है। पंचायतनामा, प्रदर्श

क–5, के अनुसार मृतक प्रकाश चन्द्र जाटव की मृत्यु ट्रक नं. MP 09D 5237 के द्वारा लापरवाही से चलाकर मारुती वैन गाडी नं. MP 16D 0442 में टक्कर मरने से बैठी हुई सवारी व ड्राईवर प्रकाश चन्द्र जाटव को चोट आयी और इलाज हेतु इलाहाबाद जाते समय रस्ते में करीब 8.30 बजे मृत्यु ड्राईवर प्रकाश चन्द्र की हो गयी थी। पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट, प्रदर्श क–15, के अनुसार नोनी बाई की मृत्यु निम्नलिखित कारण से हुई है– "Death occurred due to shock resultant of antemortem haemorrhage."। पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट, प्रदर्श क–16, के अनुसार प्रकाश चंद जाटव की मृत्यु निम्नलिखित कारण से हुई है– "Death due to shock resultant of antemortem haemorrhage due to trauma."। पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट, का.सं. 11क/14, के अनुसार संतोष की मृत्यु निम्नलिखित कारण से हुई है– "Coma as result of Head injury."।

36. शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, राजेश कुमार, पी.डब्लू. 2, बब्बू, पी.डब्लू. 5, के साक्ष्य एवं पंचायतनामा, प्रदर्श क–4 व क–5, तथा पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट, प्रदर्श क–15 व क–16, से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक नोनी बाई, प्रकाश चन्द्र व संतोष की मृत्यु दिनांक 07.08.2003 को बरगढ़ घाटी में ट्रक नं. MP 09D 5237 व मारुती वैन नं. MP 16D 0442 के बीच हुई टक्कर की वजह से हुई है।

37. अपनी मुख्य परीक्षा में शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, ने यह कथन किया है कि–

> "...हमारी गाडी बरगढ़ घाटी में ऊपर की ओर चढ़ रही थी सामने से ट्रक नं. MP 09D 5237 का चालक बड़ी लापरवाही व तेज़ी से बिना हॉर्न बजाये सड़क के दाहिने साइड मेरी मारुती वैन के टक्कर मारा।..."

38. अपनी प्रति परीक्षा में शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, ने यह कथन किया है कि–

> "...ट्रक इलाहाबाद से आ रहा था। सड़क के बाए हाथ पर मारुती थी। ट्रक जो ... वह अपने दाहिने ओर भगा। ट्रक का नं० M...D... था। ट्रक ने मारूती के ड्राइवर तरफ टक्कर मारा ... गाड़ी से ट्रक की रफ्तार तेज थे, क्योंकि ट्रक ... रहा था। मारूती धीमी थी और चढ़ रही थी।..."

39. नक्शा नज़री, प्रदर्श क–13, में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि मारुती वैन नं MP 16D 0442 इलाहबाद की ओर जा रही थी एवं सड़क के बाएं तरफ थी। ट्रक नं. MP 09D 5237 इलाहाबाद की ओर से आ रहा था एवं सड़क की अपनी बायीं तरफ से दाहिनी तरफ की ओर हो गया जिससे "A" स्थान पर दोनों गाड़ियों की बीच टक्कर हुई।

40. पत्रावली पर उपलब्ध घटना स्थल के छाया चित्र, प्रदर्श क–8 लगायत क–12, में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि मारुती वैन नं MP 16D 0442 अपने बायीं तरफ है जबकि ट्रक नं. MP 09D 5237 अपनी दाई तरफ है।

41. शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, मारुती वैन में सवार थे। पी.डब्लू. 1 द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि ट्रक के चालक ने बड़ी तेज़ी और लापरवाही से बिना हॉर्न दिए ट्रक को अपनी दाई लाकर मारुती वैन, जो अपनी बाई तरफ थी, को टक्कर मार दिया। नक्शा नज़री से पी.डब्लू. 1, के कथन की पुष्टि होती है। घटना स्थल के छाया चित्रों से भी पी.डब्लू. 1 के साक्ष्य की पुष्टि होती है। अतः अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में सफल हुआ है कि दुर्घटना ट्रक के चालाक के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढंग से ट्रक चलाने के कारण घटित हुई है।

42. वादी शंकरलाल द्वारा पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में यह कथन किया गया है कि ट्रक नं. MP 09D 5237 के चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये सड़क की दाहिनी साइड लाकर मारुती वैन में टक्कर मार दिया। उक्त तहरीर में ट्रक के चालक की पहचान के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं है। उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–2, अज्ञात के नाम पर दर्ज की गयी है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लू. 1 द्वारा ट्रक के ड्राईवर की पहचान के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अपनी प्रति परीक्षा में पी.डब्लू. 1 ने यह कथन किया है कि–

> "...मारुती ट्रक की टक्कर के समय मैंने ड्राईवर को भागते हुए देखा है। ड्राईवर को भागते देखा है ... नहीं सकता पीछे से देखा है।..."

43. हाज़िर अदालत अभियुक्त संजय मिश्र को देखकर राजेश कुमार, पी.डब्लू. 4, ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि–

> "यह व्यक्ति मौके पर था कि नहीं मैं नहीं बता सकता।"

44. अखिलेश सिंह, पी.डब्लू. 7, ने अपनी मुख्य परीक्षा में पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र जो पारसनाथ मिश्र द्वारा थाने पर दिया गया था, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया है, को देखकर बताया कि–

> "...यह मेरे द्वारा ही अपने हस्तलेख में पारसनाथ मिश्र के बताये अनुसार लिखा गया है। प्रार्थना पत्र में पारसनाथ मिश्र ने अपने वाहन ट्रक नं. MP 09 05237 को चालक संजय मिश्र के द्वारा दिनांक 07.08.2003 को बरगढ़ घाटी में मारुती वैन संख्या MP 16B 0442 को टक्कर मरकर व ट्रक के कागज़ात लेकर भाग जाने एवं कुछ समय बाद आकर कागज़ात देने के तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखाया था। प्रार्थना पत्र के साथ ट्रक सं MP 09 05237 के रजिस्ट्रेशन व परमिट की कॉपी संलग्न करते हुए थाना बरगढ़ में देने के लिए दिनांक 04.09.2003 को ले गए थे। उक्त प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख में है, पुष्टि करता हूँ..."

45. अपनी प्रति परीक्षा में अखिलेश सिंह, पी.डब्लू. 7, ने यह कथन किया है कि–

> "...प्रार्थना पत्र लिखाने वाला व्यक्ति को पहले से नहीं जानता हूँ मैंने जो बातें बोली थी वह बात मैंने प्रार्थना पत्र पर लिख दिया था। घटना के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था और न ही मैंने घटना देखी।..."

46. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, अवकाश प्राप्त थानाध्यक्ष, पी.डब्लू. 8, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–

> "...पर्चा नं. 5 दिनांक 04.09.2023 को काटा था जिसमे दुर्घटना में शामिल ट्रक के मालिक पारस नाथ मिश्र ने यह बताया था कि दुर्घटना के दिन संजय मिश्रा चला रहा था व उसी के द्वारा दुर्घटना कारित की गयी है। व बयान परस नाथ मिश्र अंकित किया था उन्होंने बताया था दुर्घटना करने के उपरान्त अभियुक्त संजय कुमार गाडी के कागज़ात ले कर भाग गया था मुझे कुछ दिन पहले ही मिला था। व उन्होंने अभियुक्त संजय मिश्र का डी एल नं. बताया था जो कि सी.डी. में अंकित है। लाई गयी तहरीर व ट्रक का रजिस्ट्रेशन संलग्न सी.डी. किया था। पर्चा नं. 6 दिनांक 05.09.2003 को काटा था उसमे घटना में शामिल अभियुक्त संजय मिश्रा को बरगढ़ मोड़ के पास पटेल होटल के निकट गिरफ्तार किया था उसको थाने ले आये थे। व बयान मुलजिम संजय मिश्रा अंकित किया था। अभियुक्त संजय मिश्रा ने जुर्म इकबाल किया था।..."

47. अभियुक्त का अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह आरोपित कृत्य को कारित करने के व्यक्ति के रूप में अभियुक्त की पहचान स्थापित करे। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि शंकरलाल, पी.डब्लू. 1, तथा राजेश कुमार, पी.डब्लू. 4, चक्षुदर्शी साक्षी है क्योंकि दोनों ही मारुती वैन में सवार थे। दोनों ही साक्षियों द्वारा न्यायलय में अभियुक्त संजय मिश्रा की पहचान दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के ड्राईवर के रूप में नहीं की गयी है। सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, अवकाश प्राप्त थानाध्यक्ष, पी.डब्लू. 8, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि ट्रक के मालिक पारस नाथ मिश्र ने यह बताया था कि दुर्घटना के दिन संजय मिश्रा उक्त ट्रक को चला रहा था व उसी के द्वारा दुर्घटना कारित की गयी है। उक्त कथन अनुश्रुति की श्रेणी में आता है एवं साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। पी.डब्लू. 8 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त संजय मिश्रा ने जुर्म इकबाल किया था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के धारा 25 एवं 26 के अनुसार पुलिस

अधिकारी अथवा पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है।

48. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद, द्वारा Imran Vs. State of U.P., 2019:AHC:1139, के प्रस्तर 15 व 16 में, साक्ष्य की सराहना पर निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:

> "15- This Court after scanning the evidence on record, has to adjudicate whether the prosecution has proved charges levelled against accused/appellant beyond reasonable doubt or not. Word 'proved' is defined under Section 3 of Evidence Act as under:-
>
> **"Proved"**.-A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the Court either believes it to exist, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists."
>
> 16- The question is whether a prudent man under these circumstances can believe that the facts deposed by the witnesses do exist beyond reasonable doubt."

49. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायलय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तत्व का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अभिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व है। पिछले प्रस्तर में किये गए साक्ष्य की सराहना के आधार पर एक प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टी से देखा जाए, जैसा कि माननीय उच्च न्यायलय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णय में आज्ञापित किया गया है, क्योंकि पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियुक्त संजय मिश्रा की पहचान दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक के रूप में होती हो, न्यायलय का यह मत है कि युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त संजय कुमार मिश्र द्वारा कोई ऐसा कृत्य कारित किया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-A, 427 व धारा 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। विचारण के लिए निर्धारित बिंदु तदनुसार निस्तारित किया जाता है। अतः अभियुक्त संजय मिश्रा प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

50. अपराध संख्या 24/2003 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304A, 427 भा.दं.सं. व 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम, थाना बरगढ़, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्त संजय मिश्रा को धारा 279, 337, 338, 304A, 427 भा.दं.सं. व 192, 177, 187, 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

51. दोषमुक्ति के परिणाम स्वरुप अभियुक्त के जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

52. अभियुक्त द्वारा धारा 437-A दं.प्र.सं. के तहत 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांध पत्र और समान धनराशी की दो जमानतें दाखिल की गयी है जो कि निर्णय की तिथि से छह मास तक अस्तित्व में रहेंगी।

53. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 10.03.2026

(एस. आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट
यू०पी० 4878

54. यह निर्णय आज खुली अदालत में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया है।

दिनांक: 10.03.2026

(एस. आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट
यू०पी० 4878

दाण्डिक वाद सं. 326/2003
उ.प्र. राज्य बनाम संजय मिश्रा

अभियोजन/प्रतिवाद/न्यायालय साक्षियों की सूची

क– अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यादर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
PW–1	शंकरलाल	चक्षुदर्शी साक्षी
PW–2	रज्जू प्रसाद	पुलिस साक्षी
PW–3	इन्द्रेश कुमार	पंचायतनामा साक्षी
PW–4	राजेश कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी
PW–5	बब्बू	पंचायतनामा साक्षी
PW–6	इन्द्रेश कुमार	पंचायतनामा साक्षी
PW–7	अखिलेश सिंह	अन्य साक्षी
PW–8	सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	पुलिस साक्षी
PW–9	अखिलेश कुमार	चिकित्सीय साक्षी

ख– प्रतिवाद साक्षी, यदि कोई हो– कोई नहीं।

ग– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो– कोई नहीं।

अभियोजन/प्रतिवाद पक्ष/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क– अभियोजन–

क्र. सं.	**प्रदर्श सं०**	**विवरण**
1	क–1	मूल तहरीर
2	क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	क–3	नकल रपट
4	क–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतिका नोनी बाई
5	क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक प्रकाशचन्द्र
6	क–6	मृतक प्रकाशचन्द्र की फर्द
7	क–7	थानाध्यक्ष बरगढ़ को दिया गया प्रार्थना पत्र रपट नं० 29
8	क–8, क–9, क–10, क–11, क–12	क्षतिग्रस्त मारूती वैन के फोटोग्राफ
9	क–13	नक्शा नजरी
10	क–14	आरोप पत्र
11	क–15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक नोनी बाई
12	क–16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक प्रकाशचन्द्र

ख– प्रतिवाद पक्ष: कोई नहीं।

ग– न्यायालय प्रदर्श: कोई नहीं।

घ– सारवान वस्तु: कोई नहीं।

दिनांक: 10.03.2026

(एस. आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट
यू०पी० 4878